IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–लखनऊ–12

नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

E-mail: cdlko12@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0–420/ AC-9 /23 दिनांक–06-06-2024

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदा द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार निविदाएँ आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–12, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में खोली जाएंगी। कार्यों की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित कुल लागत जी.एस.टी. रहित (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + समस्त कर (GST) सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	निविदा पद्धति
प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज मे 04 नये व्यवसाय हेतु छात्रावास (200 बेड) का निर्माण कार्य।	748.00	15.00	7500.00+18% GST = 8850.00	09 माह	टू बिड

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	14-06-2024 (06.00 PM)
Document Download End Date	21-06-2024 (3.00 PM)
Bid Submission Start Date	14-06-2024 (06.00 PM)
Bid Submission / Closing Date	21-06-2024 (3:00 PM)
Technical Bid Opening Date	21-06-2024 (3:30 PM)
Financial Bid Opening Date	Date will be declared after opening Technical Bid

ई–निविदा हेतु :–

अ– निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग RTGS के माध्यम से जमा किया जाना होगा। RTGS निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 20-06-2024 सायं 03 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि कार्यालय में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत् है :–

Concerning Division Office :	Executive Engineer, Construction Division Lucknow-12, U.P. Housing & Development Board, Neelgiri Complex, Indira Nagar, Lucknow
Accounts Details for RTGS : A/c Holder Name -	**अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-12, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।**
Bank & Branch Name -	**इण्डियन बैंक, इंदिरा नगर, लखनऊ।**
Account No	**7285696103**
IFSC Code No	**IDIB000I522 (आठवा अक्षर आई पढ़ा जाए)**

ब– निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 नम्बर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना होगा।

स– निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में काई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

सामान्य शर्तें:

1- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।

2- निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिर्वतन हो सकता है, जिसके लिए ठेकदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाता निरीक्षण कर लें कालान्तर मे स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

3- निविदा की स्वीकृति की दशा मे अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होगें।

4- निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–12, लखनऊ के पक्ष में बंधक हो जमा करनी होगी।

5- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।

6- निविदादाताओं/फर्म द्वारा दिये गयें दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रुप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।

7- निविदादाताओं/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है तथा तद्समय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा। अन्य समस्त कर कार्य की लागत में सम्मिलित है।

8- निविदादाताओं/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

9- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

10- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य एवं उक्त मद में रोकी जाने वाली धनराशि तकनीकी बिड के अनुसार होगी।

11- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/जल निगम/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।

12- जी0पी0 डब्लू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

13- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्युलेटिव प्रगति करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

14- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।

15- शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08-टी0सी0-02, लोक निर्माण अनुभाग-12 दिनांक 8 जून-2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दर से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-

(क) 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

(ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

16- शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08-टी0सी0-02, लोक निर्माण अनुभाग-12 दिनांक 8 जून-2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता(म0) के पत्रांक-4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलो निविदा के मामले में वांछित परफारमेन्स गारन्टी एल-1 निविदादाता द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

17- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा जिसके सम्बन्ध में काई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

18- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

19- अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।

20- किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद-लखनऊ होगा।

21- कार्य को सम्बन्धित विभाग द्वारा हस्तगत लिए जाने के उपरान्त ही कार्य के अन्तिम देयक का भुगतान किया जाएगा।

(नागेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 420 / AC-9 / 23 **दिनांक**-06-06-24

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक(म0), ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ।

2- निदेशक(म0), प्रशिक्षण एंव सेवायोजन, अलीगंज, लखनऊ उ0प्र0।

3- अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4- प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि परिषद की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

5- सहायक अभियन्ता-प्रथम एवं द्वितीय एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/संगणक नि0ख0 लखनऊ-12, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6- नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता